

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्र./राशिके/ ईएण्डआर/ 2020/ 1515  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27-2-2020

कलेक्टर,

समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:- प्रदेश की 11-14 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं की जानकारी की पुष्टि करने के संबंध में।

संदर्भ:- 1. म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 96/179/2019/20-2 भोपाल, दिनांक 14.01.2020.


2. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास का पत्र क्र./19/3397 भोपाल, दिनांक 23.12.2019.

उपरोक्त विषयगतगत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहें जिसमें लेख है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से 11-14 आयु वर्ग के शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त करने की कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अपने पत्र क्र./पौआ/19/275 भोपाल, दिनांक 02.05.19 के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग नई दिल्ली को 11-14 आयु वर्ग की शाला त्यागी बालिकाओं की जानकारी प्रेषित की गई है, जो मूलतः संलग्न है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग नई दिल्ली को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रेषित जानकारी में लेख किया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 11-14 आयुवर्ग की 217211 शाला-त्यागी किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उनमें से 171365 बालिकाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्र./राशिके/ईएण्डआर/2019/3154 भोपाल, दिनांक 30.05.19 द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के उक्त चिन्हित बालिकाओं की नामजद सूची चाही गई थी, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं है। नृपया जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से उक्त नामजद सूची प्राप्त कर राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे उक्त सूची का Verification किया जाकर इन बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।


संलग्न- उपरोक्तानुसार।

  
(अनुभा श्रीवास्तव) 27/2/20  
संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र  
भोपाल, दिनांक-27-2-2020

पृ.क्र./राशिके/ ईएण्डआर/ 2020/ 1516  
प्रतिप्रतिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल।
2. सीनियर कन्सल्टेंट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ।
4. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचित करते हुए लेख है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से शाला से बाहर बालिकाओं की नामजद सूची प्राप्त कर राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध करवाये एवं इन्हे शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की कार्यवाही करें।

  
संचालक  
राज्य शिक्षा केन्द्र

परिशिष्ट-02  
 2021-22

11 से 14 आयु वर्ग की शाला से बाहर की चिन्हान्विता बालिकाएं					
जिला	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आगर भालवा	47	43	85	247	
अलीराजपुर	560	515	261	733	
अनूपपुर	83	76	135	220	
अशोकनगर	113	105	198	313	
बालाघाट	74	67	186	243	
बड़वानी	621	572	578	1036	
बैतूल	126	116	153	298	
भिंड	137	126	87	344	
भोपाल	254	233	70	917	
बुरहानपुर	159	145	162	444	
छतरपुर	181	166	273	314	
छिंदवाड़ा	139	126	205	337	
दमोह	102	93	248	317	
दतिया	40	36	95	152	
देवास	184	168	107	698	
धार	484	441	449	906	
छिड़ोरी	93	86	126	291	
गुना	219	201	164	520	
ग्वालियर	230	212	170	340	
हरदा	74	68	87	152	
होशंगाबाद	74	67	80	252	
इंदौर	381	350	248	512	
जबलपुर	192	178	311	478	
आबुआ	712	654	241	1143	
कटनी	132	122	233	338	
खडवा	259	239	301	485	
खरगोन	434	399	589	869	
मंडला	124	114	155	296	
मन्दासौर	73	66	231	366	
मुरैना	236	218	197	558	
नरसिंहपुर	35	32	149	155	
नीमच	63	59	55	212	
निवाड़ी			127	145	
पन्ना	143	131	259	246	
रायसेन	106	99	146	411	
राजगढ़	133	123	232	577	
रतलाम	240	220	122	551	
रीवा	240	221	375	714	
सागर	175	160	419	529	
सातना	180	167	395	495	
सीहोर	108	98	207	315	
सिबनी	52	49	99	165	
शहडोल	116	104	248	279	
शाजापुर	63	59	138	234	
श्यामपुर	261	244	201	304	
शिवपुरी	166	152	155	687	
सीधी	130	120	152	418	
सिंगरौली	230	211	419	523	
टीकमगढ़	125	114	110	358	
उज्जैन	152	138	448	603	
उमरिया	75	68	179	168	
विदिशा	115	106	200	426	
योग	9448	8680	11270	22731	


डाटा संकलन की कार्यवाही प्रचलन में है।

संयुक्त संचालक  
 महिला एवं बाल विकास  
 मध्यप्रदेश

विधान सभा प्रश्न क्रमांक-445

वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 में शालात्यागी किशोरी बालिकाओं की संख्या की जानकारी

क्र	वर्ष .	माह	औसत हितग्राही की संख्या	रिमार्क
1	2	3	5	7
1	2020-21	जून 2020	158050	कोरोना संक्रमण के दौरान वर्ष में केवल 06 माह हेतु प्रदाय आदेश एम.पी.एगो को जारी किए गए ।
2		अगस्त 2020	162541	
3		अक्टूबर 2020	156193	
4		नवम्बर 2020	87119	
5		दिसम्बर 2020	94855	
6		जनवरी 2021	107012	
7	2021-22	मई 2021	15252	माह जून 2021 से योजना निरन्तर नहीं ।

  
संयुक्त संचालक  
महिला एवं बाल विकास म.प्र.  
संयुक्त संचालक  
महिला एवं बाल विकास  
मध्यप्रदेश